न्यायालय—अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या—14, वाराणसी।
सत्र परीक्षण सं0 133/2019

राज्य —बनाम— हशीब अहमद व एक अन्य

अप0सं0—265/18
धारा 279, 307 भा0 दं0 सं0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
थाना—मिर्जामुराद, जिला—वाराणसी।

आरोप

मैं पुष्कर उपाध्याय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं0 14, वाराणसी एतद्वारा आप अभियुक्तगण हशीब अहमद एवं मो0 अफजल पर निम्न आरोप विरचित करता हूँ :—

प्रथम— यह कि दिनांक 15.10.2018 को समय 21:18 स्थान बरमबाबा तिराहा एनएच—2 बहद ग्राम रखौना अन्तर्गत थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी में आप अभियुक्तगण लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से अलग—अलग वाहन ट्रक संख्या—एचआर 55एम 2788 29 राशि भैस व भैसा ठूस—ठूस कर बेरहमी से लादकर चलाते हुए जा रहे थे, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो गया अथवा व्यक्ति को चोट या क्षति पहुॅचना सम्भाव्य था। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कार्य किया जो भा0 दं0 सं0 की धारा—279 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय—यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वाहनट्रक संख्या—एचआर 55एम 2788 29 राशि भैस व भैसा ठूस—ठूस कर बेरहमी से लादकर चलाते हुए जा रहे थे, पुलिस द्वारा उक्त वाहन के रुकने का इशारा किया गया तो आप लोगों ने उक्त वाहन को तेज गति से चलाते हुय साशय, ज्ञान व परिस्थितियों में पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से चढ़ाने का प्रयास किया जिससे यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कार्य किया जो भा0द0सं0 की धारा 307 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय— यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वाहन ट्रक संख्या—एचआर 55एम 2788 29 राशि भैस व भैसा बुरी तरह से क्रूरता व निर्दयता पूर्वक ठूस—ठूस कर लादकर ले जा रहे थे इस प्रकार आप लोगों ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायगा।

दिनांक 13.03.2019

(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष संख्या—14, वाराणसी।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने इनकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक 13.03.2019

(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष संख्या—14, वाराणसी।